[illegible] अप्रार्थी की तलबी अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार पत्रावली 21/6/21 को पेश हो।

प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को एक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर